प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 153/2024 (अपील सूचना का अधिकार)
तारा शंकर जाट पुत्र मोहन लाल पताः स्वरूपपुरा, पोस्ट–लोपड़ा, तहसील–मावली, उदयपुर

..............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मावली उदयपुर (राज.)

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 25-11-2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 17.05.2024 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत मावली द्वारा जारी आवासीय पट्टा की सम्पूर्ण पत्रावली व मिसल की सम्पूर्ण पत्रावली की सत्यापित छायाप्रति चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र कमांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/153/24/1241–42 दिनांक 28.10.2024 से लिखा गया। परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा कोई प्रत्युत्तर अथवा सूचना आदिनांक तक इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा ग्राम पंचायत मावली द्वारा जारी आवासीय पट्टा की सम्पूर्ण पत्रावली व मिसल की सम्पूर्ण पत्रावली की सत्यापित छायाप्रति चाही गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजों से भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना पंचायत समिति मावली से संबंधित होने से प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 17.05.2024 को जरिये पत्रांक 283 दिनांक 24.05.2024 से विकास अधिकारी पंचायत समिति मावली को अंतरित किया गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना पंचायत समिति मावली से संबंधित होने से प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्रांक 283 दिनांक 24.05.2024 से आवेदन को विकास अधिकारी पंचायत समिति मावली को अंतरित कर दिया गया एवं निर्धारित समयावधि में विकास अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाने की स्थिति में अपील सक्षम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जानी है। विकास अधिकारी पंचायत समिति मावली के विरूद्ध प्रथम अपील पर सुनवाई का श्रवणाधिकार/क्षेत्राधिकार इस कार्यालय में निहित नहीं होने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अपीलार्थी को चाहिए है कि वह सक्षम अपील अधिकारी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दाद हासिल करें।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी मावली एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर